प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ : माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायमूर्ति
माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति

दाण्डिक अपील क्रमांक - 525/2003

परमेश्वर

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

निर्णय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विचारण हेतु -

(सही/-)
श्री सुनील कुमार सिन्हा,
न्यायमूर्ति

माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव गुप्ता
मैं सहमत हूं।

(सही/-)
मुख्य न्यायमूर्ति

निर्णय हेतु दिनांक 5.08.2008 को सूचीबद्ध किया जाए।

(सही/-)
श्री सुनील कुमार सिन्हा,
न्यायमूर्ति

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ : माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायमूर्ति
माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति

दाण्डिक अपील क्रमांक - 525/2003

अपीलार्थी : परमेश्वर, उम्र- 28 वर्ष, आत्मज- जेठूराम सतनामी, साकिन- ग्राम कपसदा, पुलिस थाना- पुरानी भिलाई, जिला- दुर्ग (छ०ग०)

बनाम

प्रत्यर्थी : छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा
थाना प्रभारी, पुलिस थाना- उरला, जिला- रायपुर (छ०ग०)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपील अंतर्गत धारा 374(2), दंड प्रक्रिया संहिता

उपस्थित -

अपीलार्थी हेतु - श्री वाय०सी० शर्मा, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी/राज्य हेतु - श्री अखिल मिश्रा, उप शासकीय अधिवक्ता

निर्णय
(05.08.2008)

इस न्यायालय का अधोलिखित निर्णय **सुनील कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति** द्वारा प्रदत्त किया गया।

(1) अपीलार्थी परमेश्वर द्वारा यह अपील पंचम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रायपुर के सत्र प्रकरण क्रमांक 301/2001 में पारित दोषसिद्धि एवं दंडादेश के निर्णय दिनांक 15.02.2002 से व्यथित हो कर प्रस्तुत की गई है, जिसके अंतर्गत अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्ध कर आजीवन कठोर कारावास का दंडादेश दिया गया है।

(2) संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मृतका केवरा बाई अपीलार्थी की पत्नी थी। वह अपीलार्थी के साथ उरला बस्ती स्थित एक किराए के मकान में रहती थी, जबकि उसकी माता भुखन बाई (अ०सा० 10) समीपवर्ती मकान में रहती थी। घटना दिनांक 04.07.2001 को लगभग शाम 5 बजे, भुखन बाई अपनी पुत्री केवरा बाई के साथ केवरा बाई के घर के सामने बैठी हुई थी। उसी समय अभियुक्त/अपीलार्थी वहाँ आया तब केवरा बाई ने उससे कहा कि जब वह कुछ काम नहीं करेगा तो वह लोग जीवन-यापन कैसे करेंगे। इस कारणवश, पति-पत्नी के मध्य बहस हुआ एवं विवाद उत्पन्न होने के कारण विवाद के दौरान अभियुक्त/अपीलार्थी ने अपनी फुल पैंट के पिछली जेब से एक चाकू निकालकर मृतका के बाल पकड़कर उसके मार्मिक अंगों पर अनेक बार प्रहार किया। पड़ोसी साधेलाल सतनामी (अ०सा० 2) ने बीच-बचाव का प्रयास किया किंतु अभियुक्त/अपीलार्थी ने प्रतिवाद करते हुए कहा कि वह अपनी पत्नी के साथ जैसा चाहेगा वैसा करेगा, तुम कौन होते हो कुछ कहने वाले? अपीलार्थी की इस प्रवृत्ति को देखकर भुखन बाई तत्काल कोटवार फतेचंद (अ०सा० 14) को बुलाने दौड़ी परंतु जब तक वह लोग लौटकर आये तब तक मृतका की मृत्यु हो चुकी थी और अपीलार्थी घटनास्थल से फरार हो चुका था। उन्होंने मृतका के शरीर पर कई चोटें पायी। घटना की सूचना दूरभाष के माध्यम से पुलिस थाना उरला को दी गई, जिसे रोजनामचा सान्ह क्र० 128 में दर्ज किया गया। उक्त सूचना प्राप्त होने पर उपनिरीक्षक आर०बी०एस० परिहार (अ०सा० 18) हमराह प्रधान आरक्षक ए०आर० साहू (अ०सा० 9) सहित घटनास्थल के लिए रवाना हुए। उन्होंने भुखन बाई से मुलाकात की और देहाती नालिसी प्र०पी० 11 लेखबद्ध किया। भुखन बाई के कथन पर मर्ग सूचना प्र०पी० 14 भी लेखबद्ध किया गया। पंचों को प्र०पी० 3 का नोटिस देने के उपरांत मृतका के शव का पंचनामा प्र०पी० 4 के अनुसार तैयार किया गया तथा शव को परीक्षण हेतु प्र०पी० 15 के अनुसार भेजा गया। डॉ० संजय कुमार दादु (अ०सा० 8) द्वारा शव परीक्षण किया गया जिसमें निम्नलिखित बाह्य चोटें पाई गईं:

1) गर्दन के बाईं ओर के अग्र भाग पर छिन्न घाव, आकार 10 x 3.0 सेमी;

2) गर्दन के दाईं ओर के अग्र भाग पर छिन्न घाव, आकार 4 x 2.0 सेमी;

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

3) गर्दन के मध्य भाग पर छिन्न घाव, आकार 8 x 1.0 x 1.0 सेमी; अनुप्रस्थ रूप से स्थित, मांसपेशियों तक गहरा;

4) गर्दन के दाईं ओर के अग्र भाग पर छिन्न घाव, आकार 7 x 3.0 x 1.0 सेमी, तिरछा रूप से स्थित, मांसपेशियों तक गहरा;

5) ठोड़ी के ठीक मध्य भाग पर छिन्न घाव, आकार 3.5 x 0.5 सेमी;

6) गर्दन के दाईं ओर पार्श्व भाग पर और मास्टॉयड के ठीक पीछे छिन्न घाव, आकार 9 x 4 x 1.0 सेमी;

7) गर्दन के दाहिनी तरफ पीछे की ओर छिन्न घाव, आकार 4 x 3 x 1.0 सेमी;

8) गर्दन के बाईं तरफ पीछे की ओर छिन्न घाव, आकार 6 x 3 x 1.0 सेमी;

9) गर्दन के बाईं ओर स्थित छिन्न घाव, आकार 6 x 2 x 1.0 सेमी;

10) चेहरे के दाईं ओर कान के लोब्यूल के ठीक नीचे सतही छिन्न घाव, आकार 7 x 1.0 सेमी;

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11) रैखिक खरोंच, एक ऊपरी सिरे पर दाईं ओर, दूसरा दाईं दाढ़ के उभार के नीचे और तीसरा बाईं गाल पर, आकार 3.5 x 0.1 सेमी अनुप्रस्थ रूप से, 2.5 x 0.1 सेमी लंबवत और 1 x 0.1 सेमी लंबवत;

12) दाईं सुप्राऑर्बिटल मार्जिन पार्श्व सिरे पर सतही छिन्न घाव, आकार 4 x 1.0 सेमी और नाक के पुल पर एक छिन्न घाव, आकार 1 x 0.3 सेमी;

13) बाएँ सुप्राऑर्बिटल क्षेत्र के पार्श्व सिरे पर घर्षण, आकार 2 x 1.0 सेमी

14) सुप्रास्टर्नल नॉच के ठीक नीचे सतही छिन्न घाव, छाती के दाईं ओर, एक के नीचे एक, अनुप्रस्थ रूप से स्थित, आकार क्रमशः 2.5 x 0.2 सेमी एवं 2 x 0.2 सेमी;

15) छाती के दाहिनी ओर तिरछा छिन्न घाव, आकार 1 x 1.0 सेमी, मांसपेशियों तक गहरा;

16) छाती के दाहिनी ओर अनुप्रस्थ छिन्न घाव, आकार 3 x 0.3 सेमी, मांसपेशियों तक गहरा;

17) हंसली की हड्डी के ठीक नीचे सतही छिन्न घाव, आकार 1.5 x 0.3 सेमी;

18) सुप्रास्टर्नल नॉच के ठीक नीचे दाएं ओर सतही छिन्न घाव, आकार 3 x 0.2 सेमी;

19) सुप्रास्टर्नल के नीचे छाती के बाईं ओर सतही छिन्न घाव, आकार 7 x 1.5 सेमी;

20) चोट क्रमांक 19 के ठीक पार्श्व में सतही चोट, आकार 1.5 x 0.3 सेमी;

21) बांह के बाईं ओर के अग्र भाग पर बीच में सतही छिन्न घाव, आकार 3.5 x 0.3 सेमी;

22) बाएँ अग्रबाहु के अग्र भाग पर छिन्न घाव, आकार 6 x 1.0 सेमी, लंबवत, मांसपेशियों तक गहरा;

23) छाती के दाएँ पार्श्व भाग पर छिन्न घाव, आकार 14 x 5.0 सेमी;

24) छाती के दाहिने पार्श्व भाग पर भेदन घाव, आकार 2 x 1.0 सेमी;

25) चोट क्रमांक 23 के अग्र सिरे से लंबवत 7 x 0.1 सेमी आकार का रैखिक घर्षण;

26) चोट क्रमांक 24 के ठीक सामने कई रैखिक घर्षण;

27) पेट के अग्र भाग पर सतही छिन्न घाव, आकार 2 x 0.2 सेमी;

28) पेट के अग्र भाग पर भेदन घाव, आकार 7 x 2.0 सेमी;

29) पेट के अग्र भाग पर सतही छिन्न घाव, आकार 4 x 1.0 सेमी;

30) चोट क्रमांक 29 के पार्श्व सिरे के ठीक ऊपर सतही छिन्न घाव, आकार 6 x 0.2 सेमी;

31) सतही छिन्न घाव, एक ही स्थान पर, जिफिस्टर्नम से 10.0 सेमी नीचे, एक 1.0 सेमी और दूसरा 3.0 सेमी, मध्य रेखा से बाईं ओर, आकार क्रमशः 1 x 0.1 सेमी और 1.2 x 0.2 सेमी;

32) एक ही स्थान पर, जिफिस्टर्नम से 10.0 सेमी नीचे, मध्य रेखा से बाईं ओर 4.0 सेमी और 6.0 सेमी, आकार 1.2 x 0.3 सेमी और 2.2 x 1.0 सेमी;

33) भेदन घाव, जिफिस्टर्नम से 11.5 सेमी नीचे और मध्य रेखा से बाईं ओर 2.5 सेमी, आकार 2 x 0.2 सेमी;

34) भेदन घाव, जिफिस्टर्नम से 12.0 सेमी नीचे और मध्य रेखा से ठीक बाईं ओर, आकार 3 x 0.3 सेमी;

35) दाहिने कंधे के पिछले हिस्से पर छिन्न घाव, आकार 3.5 x 1.5 सेमी, अनुप्रस्थ रूप से स्थित, मांसपेशियों तक गहरा;

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

36) बाँह के दाहिने हिस्से पर छिन्न घाव, आकार 5 x 1.5 सेमी, अनुप्रस्थ रूप से स्थित, मांसपेशियों तक गहरा;

37) सतही छिन्न घाव, एक हथेली के बाईं ओर, आकार 2.5 x 0.1 सेमी; दूसरा बाएँ अंगूठे के हथेली वाले हिस्से पर, आकार 1.5 x 0.3 सेमी और दूसरा छोटी उंगली के मध्य भाग पर, आकार 1 x 0.5 सेमी;

38) बाएँ हाथ की मध्यमा उंगली, मध्यमा और समीपस्थ फलांक्स पर हथेली के हिस्से पर छिन्न घाव, आकार 3 x 1.0 सेमी; हथेली और अनामिका उंगली के बाईं ओर एक और चोट, आकार 2 x 1.0 सेमी;

39) बाएँ हाथ की तर्जनी उंगली पर छिन्न घाव;

40) दाएँ हाथ की मध्यमा उंगली और मध्य फलांक्स पर हथेली के हिस्से पर सतही छिन्न घाव, आकार 3 x 0.3 सेमी;

41) दाएँ घुटने के आगे के हिस्से पर सतही छिन्न घाव, आकार 6.5 x 3 सेमी और

42) बाएँ कोहनी के पीछे के हिस्से पर खरोंच, आकार 3 x 1.0 सेमी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आंतरिक परीक्षण में उन्होंने पाया कि त्वचा के नीचे खोपड़ी में रक्त के थक्के जमे हुए थे; दाहिने फेफड़ा के निचले भाग में छिन्न घाव था जिसका आकार लगभग 1 सेमी था; दाहिने फुफ्फुस गुहा में लगभग 100 सीसी रक्त संग्रहीत था; बायां फेफड़ा संकुचित था; सी-4 अस्थि में स्थित श्वास नली कटा हुआ था; आँतों की झिल्ली पर अनेक कटे-फटे चोट थे; सी-4 अस्थि में स्थित ग्रासनली कटी हुई थी; पेट पर कटा-फटा चोट था; पेट की निचली रक्त वाहिका भी कटी हुई थी; छोटी आंत पर अनेक कटे-फटे चोटों के निशान थे और पेट में लगभग 200 सीसी क्रीम रंग का पदार्थ पाया गया था। शव परीक्षण करने वाले चिकित्सक ने अभिमत व्यक्त किया कि मृत्यु का कारण गर्दन पर लगी चोटों के परिणामस्वरूप उत्पन्न रक्तस्राव एवं आघात था; चोटें किसी कठोर एवं नुकीले वस्तु से पहुंचाई गई थी तथा मृत्यु मानव वध प्रकृति का था। उन्होंने अपना प्रतिवेदन प्रदर्श पी-8 तैयार किया है। जब प्रधान आरक्षक ए०आर० साहू (अ०सा० 9) तथा उपनिरीक्षक आर०बी०एस० परिहार

(अ०सा० 18) कुम्हारी पुलिस चौकी पहुँचे तो वहाँ अभियुक्त उपस्थित था। अभियुक्त के साथ पुनीत दास (अ०सा० 11), ग्राम कापसदा का कोटवार, तथा शत्रुघनलाल (अ०सा० 2), उक्त ग्राम का निवासी, भी उपस्थित थे जिन्होंने अभियुक्त के मामा अयोध्या प्रसाद (अ०सा० 1) के निर्देश पर अभियुक्त को कुम्हारी पुलिस चौकी सुपुर्द करने आए थे एवं उनके समक्ष अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा घटना के तुरंत बाद ग्राम कापसदा में न्यायिकेतर संस्वीकृति किया गया था। प्रधान आरक्षक द्वारा खून आलूदा चाकू एवं मृतका के आधी बांह की कमीज एवं फुल पैंट जब्त कर जसी पत्रक प्र०पी० 1 तैयार किया गया। जब्तशुदा वस्तुओं को रासायनिक परीक्षण हेतु प्र०पी० 20 एवं पी० 21 के अनुसार न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर भेजा गया तथा एफ०एस०एल० प्रतिवेदन प्र०पी० 22 प्राप्त हुआ। एफ०एस०एल० प्रतिवेदन के अनुसार अभियुक्त के कब्जे से जब्त फुल पैंट, कमीज एवं चाकू पर रक्त के धब्बे पाए गए थे। आगे की विवेचना में, विभिन्न साक्षीगण, जिनमें से दो चक्षुदर्शी साक्षी भुखन बाई (अ०सा० 10) एवं साधेलाल सतनामी (अ०सा० 12) तथा न्यायिकेतर संस्वीकृति के साक्षी अयोध्या प्रसाद (अ०सा० 1), कोटवार पुनीत दास (अ०सा० 11) एवं शत्रुघनलाल (अ०सा० 2), के कथन दर्ज किए गए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(3) विवेचना पूर्ण होने के उपरांत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर के न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त न्यायालय द्वारा प्रकरण को विचारणार्थ सत्र न्यायाधीश, रायपुर के न्यायालय को उपार्पित किया गया, जहाँ से यह प्रकरण अंतरण होकर पंचम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रायपुर के न्यायालय में प्राप्त हुआ। वहाँ माननीय न्यायालय द्वारा विचारण संपन्न कर उपर्युक्त वर्णित आधारों पर अभियुक्त/अपीलार्थी को दोषसिद्ध कर दंडादेश का निर्णय पारित किया गया।

(4) विचारण के दौरान उपर्युक्त नामित दो चक्षुदर्शी साक्षीगण द्वारा अभियोजन के कथन का समर्थन नहीं किया गया है। तथापि, विचारण न्यायालय द्वारा अयोध्या प्रसाद (अ०सा० 1), कोटवार पुनीत दास (अ०सा० 11) एवं शत्रुघनलाल (अ०सा० 2) के साक्ष्यों के आधार पर न्यायिकेतर संस्वीकृति के तथ्य को पूर्णतः सिद्ध मानते हुए, तथा अन्य परिस्थितिजन्य

साक्ष्य, जैसे अभियुक्त/अपीलार्थी के कब्जे से खून आलूदा कपड़ा एवं हथियार की जब्ती, से पुष्ट कर, अभियुक्त के विरुद्ध दोषसिद्धि का निष्कर्ष दर्ज किया गया है।

(5) अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि न्यायिकेतर संस्वीकृति का निष्कर्ष ठोस एवं विश्वसनीय साक्ष्य तथा उसके संपुष्टीकरण पर आधारित प्रतीत नहीं होता है, अतः अपीलार्थी द्वारा अपने मामा अयोध्या प्रसाद (अ०सा० 1) के समक्ष की गई कथित न्यायिकेतर संस्वीकृति के आधार पर दर्ज दोषसिद्धि संधार्य नहीं है।

(6) इसके विपरीत, राज्य के अधिवक्ता द्वारा इन तर्कों का विरोध करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का समर्थन किया गया है।

(7) हमने उभय पक्षकार के अधिवक्तागण के विस्तृत तर्कों को सुना तथा सत्र प्रकरण के अभिलेख का भी अवलोकन किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(8) उच्चतम न्यायालय द्वारा **राज्य बनाम एम०के० एंथनी**, जो कि (1985) 1 एस०सी०सी० 505 में प्रकाशित है, में यह प्रतिपादित किया गया है कि ऐसा कोई विधि का नियम अथवा विवेक का सिद्धांत नहीं है कि न्यायिकेतर संस्वीकृति से प्राप्त साक्ष्य पर तब तक भरोसा नहीं किया जा सकता जब तक उसे अन्य किसी विश्वसनीय साक्ष्य से संपुष्ट न किया गया हो। न्यायालयों द्वारा न्यायिकेतर संस्वीकृति को अपेक्षाकृत कमज़ोर साक्ष्य माना है। यदि न्यायिकेतर संस्वीकृति के संबंध में साक्ष्य ऐसे साक्षी/साक्षीगण से आता है जो निष्पक्ष प्रतीत होते हैं, अभियुक्त के प्रति किसी प्रकार की शत्रुता नहीं रखते हैं, तथा जिनके संबंध में ऐसा कोई तथ्य भी प्रकट नहीं हुआ हो जिससे यह संकेत हो कि अभियुक्त के प्रति असत्य रूप से आरोप लगाने का उनका कोई उद्देश्य हो सकता है; और यदि साक्षी द्वारा कहे गए शब्द स्पष्ट, निर्विवाद एवं निःसंदिग्ध रूप से यह दर्शाते हैं कि अभियुक्त ने ही अपराध कारित किया है, तथा साक्ष्य में ऐसा कोई लोप नहीं है जो उसके प्रतिकूल साबित हो, तो ऐसी स्थिति में साक्षी के साक्ष्य को विश्वसनीयता के कठोर मापदंड पर परखने के उपरांत यदि वह परख में खरा उतरता है, तो न्यायिकेतर संस्वीकृति को स्वीकार किया जा

सकता है और उसके आधार पर दोषसिद्धि दर्ज किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में, संपुष्टिकरण की तलाश करना ही साक्ष्य पर संदेह की छाया डालता है। यदि न्यायिकेतर संस्वीकृति का साक्ष्य विश्वसनीय, भरोसेमंद और निष्कलंक है, तो उस पर भरोसा किया जा सकता है और उसके आधार पर दोषसिद्धि किया जा सकता है।

(9) **नारायण सिंह बनाम राज्य मध्यप्रदेश**, जो कि (1985) 4 एस०सी०सी० 26 में प्रकाशित है, के प्रकरण में, उच्चतम न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि किसी भी न्यायालय के लिए यह मानकर चलना उचित नहीं होगा कि न्यायिकेतर संस्वीकृति कमज़ोर प्रकृति का साक्ष्य है; यह उन साक्षीगण की सत्यवादिता पर निर्भर करता है जिनके समक्ष यह संस्वीकृति की गई है तथा साक्षीगण की विश्वसनीयता को ध्यान में रखते हुए साक्ष्य की ग्राह्यता पर निर्णय देना न्यायालय का दायित्व है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(10) इसी प्रकार **बलदेव राज बनाम हरियाणा राज्य**, जो कि 1991 सप्ली (1) एस०सी०सी० 14 में प्रकाशित है, के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि—

> "यदि न्यायिकेतर संस्वीकृति स्वेच्छापूर्वक की गई हो तो न्यायालय ऐसी संस्वीकृति पर अन्य साक्ष्य सहित भरोसा कर अभियुक्त को दोषसिद्ध कर सकता है। संस्वीकृति संबंधी साक्ष्य की बहुमूल्यता उन साक्षीगण की सत्यवादिता पर निर्भर करता है जिनके समक्ष संस्वीकृति किया गया है। यह सत्य है कि न्यायालय अपेक्षा करता है कि साक्षी यथासंभव अभियुक्त द्वारा प्रयुक्त वास्तविक शब्दों को प्रस्तुत करे किंतु यह कोई अपरिवर्तनीय नियम नहीं है कि यदि वास्तविक शब्द प्रस्तुत न किए गए हो एवं केवल उसका सार प्रस्तुत किया गया हो तो न्यायालय उस साक्ष्य को स्वीकार न करे। यह न्यायालय पर निर्भर करता है कि साक्षी की विश्वसनीयता को ध्यान में रखते हुए वह साक्ष्य को स्वीकार करे या न करे। जब न्यायालय उस साक्षी, जिसके समक्ष संस्वीकृति की गई है, पर विश्वास करता है और इस बात से संतुष्ट होता है कि संस्वीकृति स्वेच्छा से की गई थी, तो ऐसी संस्वीकृति के आधार पर दोषसिद्धि दर्ज की जा सकती है। इन सिद्धांतों के दृष्टिकोण में, उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में पाया गया कि संस्वीकृति को अधीनस्थ न्यायालयों

द्वारा विधिपूर्वक स्वीकार कर उस पर कार्यवाही की गई है तथा अपराध में अपीलार्थी की संलिप्तता के संबंध में किसी प्रकार के संदेह की कोई गुंजाइश नहीं थी। अपीलार्थी की संस्वीकृति स्वेच्छापूर्वक थी। अ०सा० 4 और अ०सा० 5 के कथन, जो जिम्मेदार व्यक्ति थे, पर इस तथ्य के अभाव में संदेह नहीं किया जा सकता कि वे अपीलार्थी को झूठा फंसाने हेतु प्रेरित थे। अभियुक्त एवं उसके पिता की ईशर दास की पार्टी के साथ सम्पूर्ण कार्यवाही के दौरान तथा थाने में शिकायत दर्ज कराए जाने तक उपस्थिति अभियोजन कथन के विरुद्ध अंतर्निहित संदेह को दूर करता है और उसे स्पष्ट रूप से सत्य सिद्ध करता है। माननीय न्यायाधीशगण द्वारा कहा गया कि अतः वे संस्वीकृति में कोई दोष नहीं पाते हैं जिसे अधीनस्थ न्यायालयों ने स्वीकार कर भरोसा किया है।"

(11) **कविता बनाम तमिलनाडु राज्य**, जो कि (1998) 6 एस०सी०सी० 108 में प्रकाशित है, के प्रकरण में, उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनः इन्हीं सिद्धांतों की पुनरावृत्ति की गई है कि यह निःसंदेह है कि न्यायिकेतर संस्वीकृति के आधार पर दोषसिद्धि दर्ज की जा सकती है परंतु यह सुस्थापित है कि स्वभावतः यह कमज़ोर साक्ष्य है, अतः इसे अन्य किसी तथ्य की भांति ही सिद्ध करना आवश्यक होता है और इसका मूल्य उन साक्षीगण की सत्यवादिता पर निर्भर करता है जिनके समक्ष ऐसी संस्वीकृति की गई है। यह आवश्यक नहीं है कि साक्षी अभियुक्त द्वारा प्रयुक्त वास्तविक शब्दों को ही प्रस्तुत करे, बल्कि यह न्यायालय का दायित्व है कि वह साक्षीगण की विश्वसनीयता को दृष्टिगत रखते हुए साक्ष्य की ग्राह्यता पर निर्णय करे।

(12) आगे **पंजाब राज्य बनाम गुरदीप सिंह**, जो कि 1999 एस०सी०सी० (क्रि०) 1368 में प्रकाशित है, के प्रकरण में भी उच्चतम न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया कि न्यायिकेतर संस्वीकृति संबंधी साक्ष्य का मूल्य उन साक्षीगण की सत्यवादिता पर निर्भर करता है जिनके समक्ष संस्वीकृति की गई है और यदि कोई तात्विक परिस्थिति अथवा सामग्री पाई जाती है तो इसे सारवान् साक्ष्य के रूप में ग्राह्य किया जा सकता है किंतु,

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

पुलिस से पूर्णतः असंबद्ध व्यक्ति के समक्ष न्यायिकेतर संस्वीकृति दर्ज किए जाने में विलंब होना सदैव संदेहास्पद माना जाता है।

(13) **<u>सुखवंत सिंह उर्फ बलविंदर सिंह बनाम राज्य</u>**, जो कि सी०बी०आई० ए०आई०आर० 2003 एस०सी० 3362 में प्रकाशित है, के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय द्वारा सह-अभियुक्त के कथन के संबंध में यह प्रतिपादित किया गया कि यदि सह-अभियुक्त की संस्वीकृति बिना संपुष्टि के भी न्यायालय द्वारा ग्राह्य होता है तो सह-अभियुक्त की संस्वीकृति किसी अन्य अभियुक्त के विरुद्ध, जिसका उसमें उल्लेख हो, दोषसिद्धि का आधार बन सकती है। अतः यह तथ्य अभियोजन द्वारा सह-अभियुक्त की संस्वीकृति के रूप में प्रस्तुत साक्ष्य को अस्वीकार करने का आधार नहीं होगा कि अपीलार्थी अभियुक्त ने स्वयं संस्वीकृति नहीं की है अथवा सह-अभियुक्त द्वारा दी गई संस्वीकृति, जिसमें उसका नाम लिया गया है, स्वतंत्र रूप से संपुष्ट नहीं हुआ है, बशर्ते कि अपीलार्थी अभियुक्त के विरुद्ध की गई संस्वीकृति न्यायालय द्वारा ग्राह्य हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(14) सुखवंत सिंह (पूर्वोक्त) के निर्णय का उल्लेख करते हुए, उच्चतम न्यायालय द्वारा **<u>गगन कनोड़िया एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य</u>**, जो कि 2007 (2) क्राइम्स 81 (एस०सी०) में प्रकाशित है, के प्रकरण में पुनः प्रतिपादित किया गया है कि न्यायिकेतर संस्वीकृति दोषसिद्धि का आधार बन सकती है और केवल अत्यधिक सावधानी से न्यायालय संपुष्टि की खोज कर सकता है।

(15) अतः उपर्युक्त सिद्धांतों के आधार पर यह स्पष्ट है कि ऐसा कोई विधि का नियम नहीं है कि केवल न्यायिकेतर संस्वीकृति के साक्ष्य पर भरोसा नहीं किया जा सकता और दोषसिद्धि दर्ज करने हेतु ऐसे संस्वीकृति का अन्य किसी साक्ष्य द्वारा संपुष्ट होना आवश्यक है। इसके विपरीत, यदि न्यायिकेतर संस्वीकृति का साक्ष्य विश्वसनीय, भरोसेमंद एवं निःसंदेह है तो वह अभियुक्त की दोषसिद्धि दर्ज करने का एकमात्र आधार हो सकता है और न्यायालय केवल अत्यधिक सावधानी से संपुष्टिकरण की खोज कर सकता है।

(16) यदि हम वर्तमान मामले के साक्ष्यों का अवलोकन करें तो अविवादित रूप से दो चक्षुदर्शी साक्षी अर्थात् मृतका की माता भुखन बाई (अ०सा० 10) एवं मृतका का पड़ोसी साधेलाल सतनामी (अ०सा० 12) पूर्णतः पक्षविरोधी हो गए हैं तथा उन्होंने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है।

(17) जहाँ तक न्यायिकेतर संस्वीकृति का प्रश्न है, अ०सा० 1 अयोध्या प्रसाद का यह कथन रहा है कि घटना दिनांक को शाम लगभग 7:30 बजे वह ग्राम कापसदा में था, तब उसने हल्ला सुना कि अभियुक्त द्वारा अपने पत्नी की हत्या कर दी गई है और वह गाँव में आया है। यह सुनकर वह तुरंत अभियुक्त के घर गया और उससे पूछताछ किया तो अभियुक्त ने उसे बताया कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। उस समय वहाँ लगभग 25-30 लोग उपस्थित थे। यह सब सुनकर उसने अभियुक्त को सलाह दी कि वह थाने जाए और उसने कोटवार पुनीत दास (अ०सा० 11) एवं शत्रुघनलाल (अ०सा० 2) को बुलाया, जिन्होंने अभियुक्त को कुम्हारी पुलिस चौकी ले गए। यद्यपि, बचाव पक्ष द्वारा इस साक्षी से प्रतिपरीक्षण में मृतका की विश्वसनियता तथा अभियुक्त/अपीलार्थी की मानसिक स्थिति ठीक न होने के बारे में अनेक सुझाव दिए गए परन्तु बचाव पक्ष ऐसी कोई भी परिस्थिति उजागर नहीं कर पाया है जिससे अभियुक्त द्वारा दिए गए न्यायिकेतर संस्वीकारोक्ति के संबंध में इस साक्षी पर अविश्वास किया जाए। यह साक्षी अभियुक्त का मामा है और कपसदा गाँव का निवासी है, जो पास का गाँव है जहाँ अभियुक्त और मृतका किराए के मकान में रहते थे। अभियुक्त का यह स्वाभाविक आचरण प्रतीत होता है कि वह अपनी पत्नी की हत्या करने के तुरंत बाद घटनास्थल अर्थात उरला गाँव छोड़कर अपने पैतृक स्थान पहुँचा और अपने मामा को, जो परिवार में उससे काफी बड़े थे, यह कहानी सुनाई। साक्षी अयोध्या प्रसाद (अ०सा० 1) का आचरण भी स्वाभाविक प्रतीत होता है कि अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा मृतका की हत्या के बारे में सुनने के बाद उसने तुरंत गाँव के कोटवार पुनीत दास को बुलाया और अभियुक्त को पुलिस थाना ले जाने का निर्देश देकर उसे सौंप दिया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(18) अभिलेख में कहीं भी यह बात दर्शित नहीं है कि यह साक्षी अभियुक्त के प्रति पक्षपाती था अथवा उससे तनिक भी वैरभाव रखता था जिससे यह संकेत मिलता हो कि अभियुक्त के विरुद्ध असत्य कथन करने का उसका कोई उद्देश्य था। इस साक्षी कथन से यह सिद्ध होता है कि अभियुक्त ने उसके समक्ष स्पष्ट एवं निर्विवाद शब्दों में संस्वीकृति की थी तथा इस साक्षी के कथन में ऐसा कोई लोप नहीं है जिससे उसकी विश्वसनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। यदि इस साक्षी के साक्ष्य का अवलोकन अभिलेख पर उपलब्ध अन्य सामग्री/परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आलोक में किया जाए तो यह प्रतीत होता है कि कोटवार पुनीत दास (अ०सा० 11) एवं शत्रुघनलाल (अ०सा० 2) ने उसके साक्ष्य का समर्थन किया है। पुनीत दास का कथन रहा है कि घटना दिनांक को अयोध्या प्रसाद (अ०सा० 1) उसके घर आया था और कहा कि अभियुक्त ग्राम उरला से आया है तथा कह रहा है कि उसे उरला थाना ले चलो। उसने यह भी बताया कि अभियुक्त द्वारा अपने पत्नी की हत्या कर दी गई है। इस जानकारी के पश्चात् वह अभियुक्त के घर गया और उसे लेकर कुम्हारी पुलिस चौकी पहुँचा जहाँ रायपुर पुलिस मिली और उन्होंने विभिन्न वस्तुओं के जब्ती की कार्यवाही पूर्ण की।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(19) अ०सा० 2 शत्रुघनलाल द्वारा भी इसी प्रकार का कथन किया गया है कि अयोध्या प्रसाद उसके घर आया था और उसने बताया कि अभियुक्त ने उसे बताया है कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है तथा उन्हें थाने जाना है। इस पर वह, कोटवार पुनीत दास, अयोध्या प्रसाद और अभियुक्त परमेश्वर, सभी मिलकर कुम्हारी पुलिस चौकी गए।

(20) अभियुक्त अपीलार्थी को कुम्हारी पुलिस चौकी ले जाकर पुलिस के सुपुर्द किए जाने के तथ्य की पुष्टि प्रधान आरक्षक ए०आर० साहू (अ०सा० 9) के कथन से होता है। उन्होंने यह कथन किया कि जब उन्हें दूरभाष पर सूचना प्राप्त हुई और वे मौके पर तथा तत्पश्चात कुम्हारी पुलिस चौकी पहुँचे तब तक अभियुक्त परमेश्वर, कोटवार पुनीत दास (अ०सा० 11) तथा शत्रुघनलाल (अ०सा० 2) भी उक्त पुलिस चौकी पहुँच चुके थे, जहाँ अभियुक्त/अपीलार्थी ने उनको एक खून आलूदा चाकू जब्त कराया था। अभियुक्त के कपड़ों (आधी बांह की कमीज़ एवं फुल पेंट) में भी रक्त पाया गया था। उक्त कपड़ों को भी इस साक्षी ने जब्त कर पुनीत

दास (अ०सा० 11) एवं शत्रुघनलाल (अ०सा० 2) की उपस्थिति में जब्ती पत्रक (प्र०पी० 1) तैयार किया था। इस साक्षी का बचाव पक्ष द्वारा औपचारिक प्रतिपरीक्षण किया गया है किंतु उसकी विश्वसनीयता के विरुद्ध तथ्य अभिलेख पर नहीं लाया जा सका है।

(21) अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि जब्तशुदा उक्त वस्तुएँ, मृतका के कपड़े तथा घटनास्थल से जब्त साधारण मिट्टी एवं खून आलूदा मिट्टी को रासायनिक परीक्षण हेतु राज्य न्यायालिक विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर भेजा गया था, जिसका ज्ञापन प्र०पी० 20 एवं पी० 21 है तथा परीक्षण प्रतिवेदन प्र०पी० 22 है। प्रतिवेदन के अंतर्वस्तु से यह प्रकट होता है कि मृतका के कपड़े एवं खून आलूदा मिट्टी के अतिरिक्त, अभियुक्त/अपीलार्थी से जब्त की गई फुल पेंट, आधी बांह की कमीज़ एवं चाकू पर भी रक्त पाया गया था।

(22) अतः अ०सा० 1 अयोध्या प्रसाद के कथन की पुष्टि अ०सा० 11 पुनीत दास एवं अ०सा० 2 शत्रुघनलाल के कथन से होती है तथा इसकी पुष्टि इस तथ्य से भी होती है कि अभियुक्त को कुम्हारी पुलिस चौकी ले जाकर पुलिस के सुपुर्द किया गया था तथा अभियुक्त से जब्त किए गए कपड़े एवं चाकू पर रक्त पाया गया था एवं इस तथ्य की पुष्टि रासायनिक परीक्षण से भी होती है। अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में, अभियुक्त द्वारा अपने मामा अयोध्या प्रसाद (अ०सा० 1) के समक्ष किया गया न्यायिकेतर संस्वीकृति कथन पूर्णत: विश्वसनीय प्रतीत होता है और इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं रह जाता है।

(23) यदि संपूर्ण परिस्थितियों का सामंजस्य स्थापित किया जाए तो यह स्पष्ट होता है कि किसी विवाद के कारण अभियुक्त ने ग्राम उरला में अपनी पत्नी की हत्या की थी। उसने चाकू से कुल 42 बार वार किया और हत्या के तुरंत बाद घटनास्थल से भागकर अपने पैतृक गाँव ग्राम कापसदा पहुँचा जहाँ उसने यह तथ्य अपने मामा को बताया तथा थाने जाने की इच्छा व्यक्त की। इस पर उसके मामा ने गाँव के कोटवार एवं अन्य लोगों को बुलाया और उन्हें अभियुक्त द्वारा की गई न्यायिकेतर संस्वीकृति की जानकारी दी, तत्पश्चात अभियुक्त को थाने ले जाकर पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया, जहाँ अभियुक्त के कपड़े एवं

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

चाकू, जिन पर रक्त जैसे धब्बे पाए गए थे, पुलिस द्वारा जब्त किया गया और अंततः रासायनिक परीक्षण प्रतिवेदन में इन सभी वस्तुओं पर रक्त पाया गया।

(24) ऐसी परिस्थिति में, हमारा यह विचार है कि यद्यपि चक्षुदर्शी साक्षी के साक्ष्य से अभियोजन के प्रकरण को समर्थन नहीं मिलता है, तथापि विद्वान् विचारण न्यायाधीश द्वारा अभियुक्त/अपीलार्थी की न्यायिकेतर संस्वीकृति पर उचित रूप से विश्वास कर उसे भारतीय दंड संहिता के धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध हेतु दोषसिद्ध किया गया है।

(25) उपर्युक्त कारणों से, हमें इस अपील में कोई सार प्रतीत नहीं होता है। यह अपील खारिज योग्य होने से तदनुसार खारिज किया जाता है।

सही/- **सही/-**

मुख्य न्यायाधीश **न्यायमूर्ति सुनील कुमार सिन्हा**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिसाबित माना जाएगा एवं कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated by Soumitra Kesharwani, Advocate